माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

राजस्व निगरानी /2017

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/0045

बुलाजी पिता बापूजी जाति गुर्जर आयु 68 वर्ष धंधा कृषि निवासी ग्राम बगोदा तेहसील तराना जिला - उज्जैन ----------- आवेदक

विरुद्ध

1- जानीबाई पति मयाराम जाति आजंना आयु 54 साल धंधा ग्रहकार्य निवासी ग्राम तालोद तेहसील व जिला उज्जैन

2- मयाराम पिता सिद्धनाथ जी जाति आजंना आयु 58 साल निवासी ग्राम तालोद तेहसील व जिला उज्जैन

3- गीताबाई बेवा पूरालाल जी आजंना आयु 65 साल

4- विक्रम पिता पूरालाल जाति आजंना आयु 33 वर्ष

5- राकेश पिता पूरालाल जाति आजंना आयु 28 साल

6- तेजुबाई पिता पूरालाल जाति आजंना आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम अनन्तखेड़ी : खोजाखेड़ी : तेहसील तराना जिला उज्जैन

7- आशाबाई पिता पूरालाल जाति आजंना : मृत :

8- हेमुबाई पिता पूरालाल जाति आजंना : मृत :

------------- अनावेदक गण

राजस्व निगरानी वाद धारा 50 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता के तहत्

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह राजस्व निगरानी वाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय श्री मान अनुविभागीय अधिकारी : राजस्व : तराना न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 5 । 16 मे पारित आदेश दिनांक 27-12-17 जिसमे अनावेदक 1-2 का धारा 5 अवधि विधान का आवेदन बिना आधार का व जानकारी के स्त्रोत के अभाव का स्वीकार कर लिया उससे असन्तुष्ट होकर यह निगरानी वाद न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :----

प्रकरण का सार :-

प्र.रा. क्लर्क आज दि. 3-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु 10-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

03/01/18 (L. S. Dhaval)

प्रमाणो

(218)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/0045

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से ,अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	